राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :– एफ 2 (ग) ए.सी.पी. / अलेसे– I / 2) 85-86 दिनांक:– 06.12.2012

कार्यालय आदेश संख्या ....231 / 2012–13

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 11 (7) एफडी / रूल्स / 2008 / दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ–14 (88) एफडी(नियम) 2008–I दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में श्री धर्मीचन्द अरोडा, सहायक लेखाधिकारी जिनकी जन्मतिथि 22.08.1957 है तथा जिन्होंने लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर दिनांक 19.03.1980 को कार्यग्रहण किया था। इन्होने दिनांक 19.03.2007 को 27 वर्ष की सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है, किन्तु दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न होने के कारण नियमानुसार इन्हें 5 वर्ष पश्चात् अर्थात दिनांक 19.03.2012 से लेखाकार के पद का तृतीय ए.सी.पी. वेतनमान पे–बैण्ड 15600–39100 एवं ग्रेड–पे 6000 स्वीकृत किया जाता है।

श्री धर्मीचन्द अरोडा, सहायक लेखाधिकारी को उक्त ए.सी.पी. वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश कमांक एफ. 14 (88) एफडी (नियम) 2008–I दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तो के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत किया गया है।

उपरोक्त सहायक लेखाधिकारी के वांछित वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.2 (17) वित्त / राजस्व / 08 दिनांक 27.07.12 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत वर्षो की प्राप्त एपीएआर व संतोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन मे प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे मे निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

श्री धर्मीचन्द अरोडा, सहायक लेखाधिकारी का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ–14(88) एफडी (नियम) 2008–I दिनांक 31.12.09 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे–ग्रेड 5400 में वेतन प्राप्त कर रहे है तथा ए.सी.पी. स्वीकृति तिथि को इनके विरूद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।

निदेशक

क्रमांक :– एफ 2 (ग) ए.सी.पी. / अलेसे– I / 2) 85-86 दिनांक:– 06.12.2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष– संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन अजमेर।
2. श्री धर्मीचन्द अरोडा, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन अजमेर।
3. निजी सहायक निदेशक महोदय
4. निजी पत्रावली / गार्ड फाईल / गोपनीय अनुभाग / कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक– I)